

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

वाद सं०-एम० 175/2020 धारा-144 द०प्र०सं०
मनीष कुमार.....प्रथम पक्ष

बनाम

राजेश कुमार जायसवाल वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश

19.11.2020

प्रस्तुत वाद में आवेदक के आवेदन के आलोक में निम्न जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा-144 के तहत दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ-ही साथ उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक के लिए रोक लगाया गया।

उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

7 विवादित भूमि विवरणी

मौजा-सारमाली, थाना-सोनाहातु, थाना संख्या-57

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
120	132	68 डी०

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि प्रथम पक्षगण शांति प्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष की ओर से शांति भंग होने की संभावना नहीं है।
2. यह है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष के दादाजी डोमन महतो, पिता-बलराम महतो, जाति-कुरमी, साकिन-भकुवाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची द्वारा निबंधन डीड संख्या-6531 दिनांक-21/09/1953 ई० को देवनाथ भगत, पिता-रघुनाथ भगत, जाति-जायसवाल, साकिन-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची से बिक्री प्राप्त किये है, जिसकी चौहदी उत्तर-ग्रामीण रास्ता, दक्षिण-मोटा आड़, दोन नीज, पूरब-प्लॉट न० 133, पश्चिम-प्लॉट संख्या 123 है। क्रय करने के पश्चात् डोमन महतो दखलकार हुए एवं जमीनदारी के समय जमीनदार को मालगुजारी देते थे एवं जमीनदारी प्रथा उन्मूलन के पश्चात् डोमन महतो सरकार को मालगुजारी देते थे। डोमन महतो के मरणोपरांत उनके पुत्र राजकिशोर महतो दखल में आये एवं लगातार सरकार को मालगुजारी देते आ रहे है।
3. यह है कि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। द्वितीय पक्ष के द्वारा धारा-144 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही चलने के उपरांत भी विवादित जमीन पर कार्य किया जा रहा है, जो कि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध मा०द०वि० की धारा-188 के तहत कार्रवाई करने योग्य है।
4. यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन IX, राँची में वाद दायर किया गया है, जिसका ऑरिजनल टाईटल सूट नम्बर-442/2019 है।

13/11/2020

5. यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय मुन्सिफ IX, राँची के न्यायालय में XXXIX Rule 1 and 2 के साथ Section 15, के तहत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया, जिसका ऑरिजनल टाईटल सूट नम्बर-2386/2019 अंकित किया गया है। लेकिन कोविड-19 के कारण निषेधाज्ञा के आलोक में लंबित है।

6. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा नामांतरण केस संख्या-5R27/2020-21 एवं 6R27/2020-21 दायर किया गया था, जो दिनांक-15/07/2020 को खारिज किया गया।

7. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा 20/12/2018 को देवनाथ भगत से क्रय करने की बात करते हैं, जो कि देवनाथ भगत के द्वारा पूर्व में ही प्रथम पक्ष के दादाजी को सन् 1953 ई० को बेच चुके हैं। देवनाथ भगत का बेचने का हक नहीं बनता है।

8. यह है कि पूर्व में भी धारा-144 द०प्र०सं० के तहत मुकदमा चला था, जिसका वाद संख्या-एम०13/2019 मनीष कुमार बनाम राजेश कुमार जायसवाल वगैरह है, जिसमें 13/08/2019 को आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में प्रथम पक्ष के हित में रिक्त किया गया है एवं द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित किया गया है। विवादित भूमि को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांतिभंग होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उन्होंने विवादित जमीन पर द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं :-

1. यह है कि द्वितीय पक्षगण शांति प्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष की ओर से शांति भंग होने की संभावना नहीं है।

2. यह है कि विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा जो वाद दायर किया गया है वह चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रथम पक्ष अपने आवेदन में विवादित जमीन की चौहदी नहीं दी गई है।

3. यह है कि आर०एस० खाता संख्या-120, प्लॉट संख्या-132, रकबा-68 जी० एवं अन्य प्लॉट आर०एस० सर्वे खतियान में देवनाथ भगत, पिता-रघुनाथ भगत वगैरह के नाम से दर्ज है।

4. यह है कि विवादित जमीन एवं अन्य प्लॉट को बकास्त मालिक दलगोबिन्द सिंह एवं अन्य से देवनाथ भगत, पिता-रघुनाथ भगत ने सन् 22.06.1920 ई० में 600 (छः सौ रुपये) नजराना देकर रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किये हैं।

5. यह है कि देवनाथ भगत अपने पीछे एक पुत्र रामकृष्ण भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। रामकृष्ण भगत अपने पीछे सात पुत्र किरीटी भूषण भगत, प्रफुल्ल भगत, राजकुमार भगत, सुशील कुमार भगत, शरत कुमार भगत, सतीश कुमार भगत, गोपाल कृष्ण भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। किरीटी भूषण भगत अपने पीछे दो पुत्र चन्द्रशेखर भगत एवं प्रभाकर भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। प्रफुल्ल भगत की नावलद मृत्यु हो गया। राजकुमार भगत के चार पुत्र दिलीप कुमार, दीपनारायण भगत, जयन्त कुमार भगत, रितेश कुमार भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। शरत कुमार भगत के दो पुत्र उदय शंकर, कृष्ण कुमार भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। सतीश कुमार भगत की नावलद मृत्यु हो गयी है एवं गोपाल कृष्ण भगत जीवित है।

13/11/2020

6. यह है कि मालगुजारी रसीद रामकृष्ण भगत पिता-देवनारायण भगत के नाम से निर्गत होता है। प्रथम पक्ष के नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं होता है। हाल सर्वे में बण्डा पर्चा देवनाथ भगत के वंशज किरीटी भूषण के नाम से बना है। बण्डा पर्चा के विरुद्ध में प्रथम पक्ष के पूर्वज खेत्रमोहन सिंह के द्वारा अपील दायर किया गया, जिसका वाद संख्या-787/93 है, जिसमें बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के द्वारा खारिज किया गया है।
7. यह है कि खतियानी रैयत देवनाथ भगत के वंशज सुशील कुमार भगत, गोपाल भगत, चन्द्र शंकर भगत, प्रमाकर भगत, दिलीप कुमार भगत, दीपनारायण भगत, जयन्त भगत, रितेश कुमार भगत, उदय शंकर भगत ने आर०एस० खाता संख्या-120, प्लॉट संख्या-125, रकबा-55 डी०, प्लॉट संख्या-126, रकबा-62डी०, प्लॉट संख्या-127, रकबा-1.10 एकड़, प्लॉट संख्या-128, रकबा-16डी०, प्लॉट संख्या-132, रकबा-48डी०, प्लॉट संख्या-142, रकबा-21डी०, प्लॉट संख्या-143, रकबा-46डी०, प्लॉट संख्या-145/843, रकबा-15 डी०, प्लॉट संख्या-145/843, रकबा-15डी०, प्लॉट संख्या-129/844, रकबा-64 डी० कुल रकबा-4.47 एकड़ भूमि को संतोष कुमार जायसवाल पिता-श्री जयप्रकाश भगत के द्वारा निबंधन पट्टा से सन् 20/12/2018 ई० को बिक्री प्राप्त किये है, जिसका पट्टा संख्या-709/687 है।
8. यह है कि सुशील कुमार भगत वगैरह ने आर०एस० खाता संख्या-120, प्लॉट संख्या-132, रकबा-20 डी० भूमि को राजेश कुमार जायसवाल, पिता-महादेव भगत को रजिस्ट्री डीड से सन् 20/12/2018 ई० को बिक्री कर दिये है, जिसका डीड संख्या-708/686 है। क्रय करने के पश्चात् संतोष कुमार जायसवाल एवं राजेश कुमार जायसवाल दखलकार हुए।
9. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर कमरा एवं चाहरदिवारी के साथ गेट लगाया गया है।
10. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा विवादित जमीन को खरीदने के पश्चात् दखल में आये एवं चाहरदिवारी के साथ में गोदाम कमरा, केयर टेकर कमरा एवं बड़ा गेट लगाया गया है। Oil Confirmation Ltd C.M.P. द्वारा दिनांक-17/12/2018 को गैस गोदाम लाईसेंस दिया गया। जिसका License Ref. No- 2018/JNO-01264-JRK/0000042/2314/00042 है। साथ ही PESO Ranchi के द्वारा License No- S/EH/JH/06/181 (as 54035)
11. यह है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा ट्रेडर संख्या-VC-271437 के द्वारा सत्यापित है।
12. यह है कि साईं इण्डेन ग्रामीण वितरण (GSTIN: Z0AFRPJ8164Q1JR) है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही पूर्ण संभावना है। अतः उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

13/11

11/2020

आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को दोनों पक्ष रजिस्ट्री पट्टा से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे हैं। परन्तु विवादित जमीन को लेकर ऑरिजनल टाईटल सूट नम्बर-442/2019 है। जिसमें दोनों ही पक्ष पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 द०प्र०सं० के तहत आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद में बिना कोई आदेश प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। विवादित जमीन को लेकर ऑरिजनल टाईटल सूट नम्बर-442/2019 लंबित है। उभय पक्ष निदेश दिया जाता है कि विवादित जमीन में ऐसा कार्य न करें, जिससे शांतिभंग की स्थिति उत्पन्न हो। इसी निरूपण के साथ अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू (राँची)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)